

The final signed approval certificate can be downloaded from UP Pollution Control Board's website at <http://uppcb.com/online/frmDownloadPermission.aspx>

The same can also be downloaded from the state's single window portal – Nivesh Mitra, which can be accessed at <http://nm.udyogbandhu.com/>

(Dummy login for the portal is **ID:** [testentp1@gmail.com](mailto:testentp1@gmail.com), **Password:** SnLMV0PC)

The procedure is described at [http://www.uppcb.com/pdf/flow\\_chart\\_24march15.pdf](http://www.uppcb.com/pdf/flow_chart_24march15.pdf) as well as <http://nm.udyogbandhu.com/topic.aspx?Cid=6>

A sample certificate is attached below.

उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
टी०सी०-१२, वी, विभूति खण्ड,  
गोमती नगर, लखनऊ-२२६०१०

संदर्भ संख्या..... सी-३ / जल-२७४ / सहा० / २०१५

पंजीकृत

दिनांक १६-६-१५

सेवा में,

मैं० श्री महावीर स्टोन इण्डस्ट्रीज़,  
ग्राम - ठॉको सुन्दरपुर, तहसील-बेहट,  
सहारनपुर।

विषय: जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, १९७४ को धारा २५/२६ और इसके रांशोधित अधिनियम १९७४ के अन्तर्गत घरेलू/प्रक्रिया जनित उत्प्रवाह निस्तारण हेतु सहमति।

महोदय,

कृपया अपने पत्रांक ..... प्राप्त दिनांक ११-०६-१५ के साथ संलग्नक सहमति आवेदन पत्र का संदर्भ लें। आपके आवेदन पत्र का परीक्षण किया गया और आपको सशर्त सहमति आदेश संख्या ७४। सहमति (६५) आदेश / ५.३.४। २०१५ दिनांक ..... पर कार्यवाही किये जाने के निर्देश सहित संलग्न कर प्रेषित किया जा जाता है:-

१. सहमति शर्तों तथा निम्न बिन्दुओं का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें तथा अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर प्रेषित करें।
२. यह सहमति केवल घरेलू उत्प्रवाह के निस्तारण हेतु मान्य है। औद्योगिक उत्प्रवाह किसी भी स्थिति में निस्तारित न किया जायें।
३. कृपया रथापित उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र का प्रभावी संचालन तथा रखरखाव सुनिश्चित करें, जिससे कि उत्प्रवाह का निस्तारण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हो।
४. कृपया ठोस अवशिष्ट पदार्थों को इस प्रकार से निस्तारित करना सुनिश्चित करें जिससे कि नदी, सरिता, भूमिगत जल या अन्य किसी श्रोत का जल प्रदूषित न हो।
५. उचित मात्रा में वृक्षारोपण करें जिससे कि वातावरण में सुधार हो तथा प्रगति आख्या हर तीसरे महीने भेजें।
६. आपको उपकर अधिनियम १९७७ में वांछित नियमों का पूर्णतया पालन करने और बोर्ड को इस सम्बन्ध में प्रति भेजने की सलाह दी जाती है।
७. स्टोन केशर एवं स्कीनिंग प्लान्ट की स्थापना बोर्ड की स्टोन केशर एवं स्कीनिंग प्लान्ट हेतु निर्धारित गाइड लाइन दिनांक १९.०१.२०१० एवं संशोधित गाइड लाइन्स दिनांक १९.४.२०११ के अनुसार की जाये।
८. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम-१९८६ के प्राविधानों एवं इस अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित मानकों का अनुपालन किया जाएगा।

9. रिवर स्टोन की जल से धुलाई में प्रयुक्त जल को सेटलिंग टैंक के माध्यम से शुद्धीकृत कर पुनः प्रयोग किया जाये।
10. उद्योग द्वारा कच्चे माल की आपूर्ति हेतु खनन नहीं किया जायेगा। कच्चे माल की आपूर्ति उन्हीं फर्मों से की जायेगी जिन्हें वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार से पर्यावरणीय क्लीयरेन्स प्राप्त हो।
11. उद्योग में स्थापित पानी के फब्बारों का सतत संचालन किया जाये।
12. मा० सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन विशेष रिट याचिका सं०-१९६२८-१९६२९ / २००९ दीपक कुमार व अन्य बनाम हरियाणा राज्य व अन्य एवं मा० उच्च न्यायालय में विचाराधीन विशेष रिट याचिका सं०-१५३४४ / २०१२ संजय सिंह बनाम भारत सरकार व अन्य के अधीन समय-समय पर दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
13. प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र के साथं आन लाइन मानिटरिंग व्यवस्था स्थापित किया जाये।
14. माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा ओरिजनल एप्लीकेशन नं०-१९६ आफ २०१४ कृष्णकान्त सिंह प्रति नेशनल गंगा रिवर बेशन अथारिटी व अन्य में पारित आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

इस सहमति आदेश में अंकित प्राविधानों तथा सहमति शर्तों के होते हुये भी, उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ, जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 तथा इसके संशोधित अधिनियम 1978 की धारा 27 (2) के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी / सभी शर्तों में पुनः विचार करने या संशोधन के लिए अधिनियम के अनुसार जो उचित हो, का अधिकार व शक्ति, बोर्ड आरक्षित रखती हैं।

संलग्नक :— उपरोक्तानुसार।

भवदीय

( डा० आर०एस० यादव )  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
वृत्त-३

पृ० सं०..... /

तद् दिनांक.....

प्रतिलिपि: क्षेत्रीय अधिकारी, उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सहारनपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
वृत्त-३

०१८

उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
टी०सी०-१२ वी, विभूति खण्ड,  
गोमती नगर, लखनऊ-२२६ ०१०

केवल सरिता/भूमि में निस्तारण के लिये  
वर्तमान/बदली हुई क्षमता के लिये

फार्म XV

सहमति आदेश पत्र

संख्या..... २८५/ सहमति-५७०/२०१५ लखनऊ, दिनांक १६/६/२०१५

विषय : मैं० श्री महावीर स्टोन इण्डस्ट्रीज, ग्राम -टॉको सुन्दरपुर, तहसील-बैहट, सहारनपुर जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25/26 के अंतर्गत उत्प्रवाह निस्तारण हेतु सहमति।

संदर्भ : आवेदन पत्र सं०.....

दिनांक 11.06.2015

जलराशि या सीधेर में या भूमि पर बहि:श्राव के निस्तारण के लिये जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974, जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है, के अधीन सहमति प्राप्त करने के लिये उपर्युक्त आवेदन पत्र के निर्देश में मैं० श्री महावीर स्टोन इण्डस्ट्रीज, ग्राम -टॉको सुन्दरपुर, तहसील-बैहट, सहारनपुर उसके परिसर से निकलने वाले उसके घरेलू नगर पालिका/औद्योगिक बहि:श्राव के स्थानीय सहमति/कुये में/भूमि पर निस्तारण करने के लिये अनुलग्नक में उल्लिखित सामान्य और विशेष शर्तों के अनुसार बोर्ड द्वारा प्राधिकार दिया जाता है।

2. यह सहमति आदेश दिनांक 11.06.2015 से दिनांक 31.12.2015 तक की अवधि हेतु विधि मान्य होगी।
3. इस सहमति आदेश में अंकित प्राविधानों तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 और इसके संशोधित अधिनियम 1978 की धारा 27 (2) के अंतर्गत वर्णित किसी भी/शर्तों में पुनः विचार करने या संशोधन के अनुसार जो उचित हो का परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति बोर्ड के लिए आरक्षित है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लिये और उसकी ओर से।

अनुलग्नक संलग्नक

(सहमति शर्तें)

१२.६.१५

मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
वृत्त-३

# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

संलग्नक आदेश सं0..... / सहमति ..... दिनांक ..... का संलग्नक

## सहमति शर्ते

1. अधिकतम दैनिक उत्प्रवाह और प्रति घन्टे में निस्तारित होने वाले उत्प्रवाह की दर निम्न से अधिक नहीं होनी चाहिये।

उत्प्रवाह का प्रकार	अधिकतम दैनिक निर्धारण मी <sup>3</sup>	अधिकतम प्रति घंटा निस्तारण मी <sup>3</sup>
(i) घरेलू	0.3	
(ii) औद्योगिक	शून्य	

- अ. प्रक्रिया जल  
ब्लीड़ / धोने के जल सहित  
ब. शीतलन जल

2. ब्लीड जल सहित प्रक्रिया में प्रयुक्त जल घरेलू उत्प्रवाह को रोकने के लिये अलग-अलग बन्द जल प्रवाह के प्रक्रिया बनाई जायें। एकत्र करने की व्यवस्था के अंतिम छोर पर टर्मिनल मेनहोल, उत्प्रवाह मापन तथा उत्प्रवाह का नमूना एकत्र करने की व्यवस्था होनी चाहिये। कोई भी उत्प्रवाह टर्मिनल, मेनहोल के डाउन स्ट्रीम पर सीवर में प्रवेश नहीं करना चाहिये तथा यह भी सुनिश्चित करें कि घरेलू उत्प्रवाह स्टोर्म वाटर ड्रेन में निस्तारित न हो।

3. घरेलू उत्प्रवाह टैंक या अन्य शुद्धिकरण संयंत्र में शुद्धिकृत किया जाये जिससे शुद्धिकृत उत्प्रवाह निम्न मानकों के अनुरूप हो।

20<sup>0</sup> से0 पर 5 दिन की बी0ओ0डी0 30 मिग्रा/ली0 से अधिक न हो

कुल निलम्बित ठोस 100 मिग्रा/ली0 से अधिक न हो

4. सभी प्रक्रिया से जनित उत्प्रवाह, शीतलन उत्प्रवाह, फर्श व उपकरणों की धुलाई से जनित उत्प्रवाह सहित औद्योगिक निस्तारित होने से पूर्व इस प्रकार शुद्धिकरण किया जाये कि उत्प्रवाह बोर्ड द्वारा संख्या 713/37/83/19/ए आर एन दिनांक 6-4-83 में निर्धारित मानकों के अनुरूप होनी चाहिये।

5. अन्य प्रचालक जिनके मानक में न दिये हों उनका मानक उद्योग में निर्माण प्रक्रिया प्रयुक्त किये जाने वाले जल के मानकों से अधिक नहीं होने चाहिये।

6. घरेलू तथा औद्योगिक उत्प्रवाह के नमूने एकत्र करने व विश्लेषित करने की विधि भारतीय मानक 4733 व 2488 और इसके बाद के संशोधनों के अनुरूप होनी चाहिये।

7. विश्लेषित करने के लिये नमूना शर्त संख्या-2 में संदर्भित टर्मिनल मेनहोल से एकत्रित किया जाना चाहिये।

8. शर्त संख्या-2 में संदर्भित टर्मिनल मेनहोल ऊपर से ढके, ताले लगाने की व्यवस्थायुक्त कम से कम 15×15 साइज और आवश्यक गहराई के ईट या सीमेण्ट चैम्बर होने चाहिये। टर्मिनल मेनहोल के उत्प्रवाह नापने तथा विश्लेषण के लिये नमूना लेने की व्यवस्था उपलब्ध होनी चाहिये।

9. शुद्धीकृत घरेलू व औद्योगिक उत्प्रवाह मिलाकर (उपरोक्त शर्त संख्या- 2 के प्राविधानों के अनुसार) एक ही निस्तारण बिन्दु से निस्तारित किया जाये । इस संयुक्त निस्तारण बिन्दु पर उत्प्रवाह मापने की व्यवस्था होनी चाहिये ।
10. शुद्धीकृत घरेलू व औद्योगिक उत्प्रवाह शर्त सं-9 में वर्णित संयुक्त निस्तारण बिन्दु से अंतिम निस्तारण बिन्दु ..... में पक्के, ढके हुये बंद पाइप युक्त ड्रेन से होकर निस्तारित किया जाये । पक्की ड्रेन या बन्द पाइप को इस प्रकार बिछाना चाहिये जिससे कि अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा उसे हानि न पहुंचाया जाये । टर्मिनल निस्तारण बिन्दु को भी टर्मिनल मेनहोल की भाँति बनाया जाये । बन्द पाइपों में स्थल की आवश्यकता के अनुसार माध्यमिक निरीक्षण कक्ष बनाया जायें ।
11. इन शर्तों का विशेष रूप से उत्प्रवाह शुद्धिकरण, उत्प्रवाह मापन, नमूना एकत्र करने की व्यवस्था टर्मिनल मेनहोल व टर्मिनल निस्तारण बिन्दु के संबंध में दिनोंक.दो माह .या उससे पहले पूर्ण अनुपालन किया जायें ।
12. बोर्ड से निर्गत सहमति आदेश की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर तथा उसके बाद प्रत्येक महीने की 10 तारीख तक मासिक प्रगति आख्या, सहमति शर्तों की अनुपालन आख्या के साथ जरूर भेजे ।
13. विस्तृत निर्माण स्थल रेखाचित्र उत्प्रवाह ले जाने वाले पाइप लाइन की अनुदैर्घ्य काट व प्लान तथा शर्त 8, 9 व 10 में वर्णित अंतिम निस्तारण बिन्दु का स्थल रेखाचित्र, इस सहमति आदेश के जारी करने के एक माह के भीतर बोर्ड को भेजे ।
14. परिसर में एकत्र होने वाले बरसात/तूफान के जल को भली भाँति रखा जाये और किसी भी बिन्दु पर घरेलू व औद्योगिक अवशिष्ट से मिलने न दिया जाये । कच्चे माल व उत्पादन या अन्य कोई पदार्थ जो तूफानी जल के साथ बहकर जा सकते हों, खुले में ढेर न लगाया जाये ।
15. फैक्ट्री परिसर में उत्पन्न होने वाले सभी ठोस अवशिष्ट पदार्थों का भली भाँति वर्गीकरण व निम्न प्रकार से निस्तारण किया जाये ।
- (i) अकिय पदार्थ होने पर उसका भूमि भराव के लिये इस प्रकार प्रयोग सुनिश्चित किया जायें कि रिसाव पैदा न हो जिससे कि वह भूमिगत जल में प्रवेश करें या बरसाती, तूफानी जल के द्वारा बहा न दिया जाये ।
  - (ii) ज्वलनशील कार्बनिक पदार्थ होने पर नियंत्रित प्रज्जवलन किया जाये ।
  - (iii) जैविक अवघट्य पदार्थ होने पर कम्पोस्टिंग किया जाये ।
16. विशेष पदार्थों का विषेलापन अगर संभव हो सके तो दूर किया जाये अन्यथा उन्हें बोर्ड की लिखित अनुमति प्राप्त कर सुरक्षित क्षेत्रों में मुहरबंद स्टील ड्रम में रखा जाये । विषमुक्त करने या मुहरबंद करने का कार्य बोर्ड में अधिकृत व्यक्ति की उपस्थिति में ही अनुमति लेकर किया जाये ।
17. यदि फैक्ट्री के किसी संयंत्र/संयंत्रों में कोई दोषपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो जिसके फलस्वरूप निस्तारित उत्प्रवाह की मात्रा बढ़ जाये/और या उपरोक्त पैरा 3 व 4 में वर्णित मानकों का उल्लंघन हो तो बोर्ड को टेलीग्राफिकली तथा आंचलिक स्वास्थ्य अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी को स्थिति बताते हुये सूचित किया जाये ।
18. प्रार्थी फैक्ट्री के अंदर व परिसर में अच्छा रख-रखाव स्थापित करें । सभी पाइप, वाल्व, सीवर और ड्रेन रिसावविरोधी होने चाहिये । फर्श की धुलाई से जनित उत्प्रवाह, उत्प्रवाह एकत्र करने की व्यवस्था में प्रवेश करना चाहिये और शर्त के अनुसार किसी बरसाती/तूफानी जल की नाली या खुले स्थान पर नहीं जाने दिया जाना चाहिये ।

19. प्रार्थी को टर्मिनल मेनहोल तथा अन्तिम निस्तारण बिन्दु पर बोर्ड के स्टाफ या बोर्ड द्वारा अधिकृत एजेन्सी के लिये उत्प्रवाह का नमूना एकत्र करने की व्यवस्था करनी चाहिये।
20. शुद्धिकृत घरेलू व प्रक्रिया जनित उत्प्रवाह का नमूना किसी भी सामान्य उत्पादन कार्य किये जाने वाले दिन, तीन महीने में एक बार लिया जाये और उन्हें शर्त संख्या 3 व 4 में दी हुई सीमा के अनुसार सभी प्रचालकों के लिये विश्लेषित किया जाये। संलग्न प्रपत्र के अनुसार पूर्ण विश्लेषण करवाने के बाद तुरन्त/समय-समय पर विश्लेषण आख्या बोर्ड में जमा की जाए।
21. प्रार्थी/कम्पनी बिना लापरवाही किये इस सहमति आदेश में दिये गये निर्देशों तथा बाद में समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का पालन करें। प्रार्थी/कम्पनी अगर किसी समय निर्गत किसी आदेश/निर्देश का पालन न करें और/या इस सहमति आदेश की शर्तों का उल्लंघन करे तो वह कानूनन अधिनियम के प्राविधानों के अंतर्गत विधिक कार्यवाही के लिये उत्तरदायी होगी।
22. प्रार्थी बोर्ड की पूर्व लिखित सहमति के बिना अन्तिम निस्तारण बिन्दु और उत्प्रवाह की गुणता व मात्रा, निस्तारण की दर, उत्प्रवाह का तापमान न बदले न परिवर्तन करें।
23. उपरोक्त शर्तें जब तक अधिनियम/संशोधित अधिनियम की धारा 27 (2) के अंतर्गत समाप्त नहीं कर दी जाती हैं, जब तक लागू रहेंगी।
24. प्रार्थी को सहमति की अवधि समाप्त होने के कम से कम 04 माह पहले या प्रस्तावित नये या परिवर्तित निस्तारण बिन्दु के चालू होने और/या निस्तारण किये जाने के 04 माह पूर्व, जो भी पहले हो, तक सहमति के नवीनीकरण हेतु आवेदन करना चाहिये।
25. एक निरीक्षण पुस्तिका खोली जानी चाहिये और उसे बोर्ड के अधिकारियों को फैक्ट्री भ्रमण के समय उपलब्ध कराया जाना चाहिये।
26. प्रार्थी उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र या संस्थान के निर्माण, स्थापना या प्रयोग में लाने संबंधी कोई भी सूचना और जल प्रदूषण निवारण व नियंत्रण से संबंधित सूचना फैक्ट्री में बोर्ड से आये अधिकारी/या बोर्ड को अवश्य उपलब्ध करायें।
27. फैक्ट्री परिसर से अन्तिम निस्तारण बिन्दु जैसे साल भर बहने वाली नदी या सिंचाई योग्य फार्म, तक उत्प्रवाह ले जाने वाली चैनल, ड्रेन या नाले में पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित किया जाये। जल के भराव जिससे एनारोब्रिक स्थितियां या मच्छरों की पैदावार हो, को नहीं होने दिया जाये।
28. निदेशक (निदेशकों), साझेदार (साझेदारों), प्रोपराइटर (प्रोपराइटरों) के नाम, पते व टेलीफोन की सूची दी जाये।
29. इस सहमति आदेश में अंकित प्राविधान तथा दिये गये सहमति शर्तों के होते हुए भी उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 तथा इसके संशोधित अधिनियम 1978 की धारा 27 (2) के अंतर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों में पुनः विचार करने या संशोधन के लिए अधिनियम के अनुसार जो उचित हो, का अधिकार व शक्ति, बोर्ड आरक्षित रखती है।

*१५.१२.६.१५*

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,  
पृष्ठ-3

*०८/११/२०१५*

*AK*